



12



दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना -2021 की समीक्षा
Master Plan Review-2021

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

Zone - N

“ओपन हाउस मीट्स”
“OPEN HOUSE MEETS”

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए
Form to be filled by Participant

नाम Name	ANIL KUMAR
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	Individual Director (Plg.) MPRTS, D.D.A. VILLAGE NO. 11, DELHI-2 Dy.No. 2924 Dated. 11/5
वर्तमान स्थिति Present Position	
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	71/143, Ramayan Pura, Pookh Khurd Delhi - 110038. 9891433574
फैक्स : Fax :	
ई-मेल E-mail	
पता : Address :	71/143, Ramayan Pura, Pookh Khurd, Delhi 110038.
हस्ताक्षर : Signature :	
तिथि : Date :	1-05/2012

“अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
“Submit your registration form at the venue of Open House meets.”

श्री विनोद साकले

निदेशक (योजना) दि. वि. प्रा.

रोहिणी / पी. जी. आर, एम एवं एन जोन

दीपाली चौक, सैक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085.

विषय: दिल्ली के गाँवों के लाल डोरे / विस्तारित (Extended) लाल डोरे से संबंधित मास्टर प्लान - 2021 में संशोधन हेतु सुझाव.

महोदय,

दिल्ली के गाँवों में तेजी से समाप्त होती कृषि योग्य भूमि गाँवों में बेकारी, बफहाली, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी का कारण बनती रही है। सरकार एक ओर किसानों से सस्ते दामों पर जमीन छीन लेती है, फिर उसी जमीन को कई गुणा महँगी बेचती है। कितने फुल की बात है कि 3-4 एकड़ जमीन का मालिक भी अपनी उसी जमीन पर बने प्लॉट और प्लॉट को खरीद नहीं पाता है। जीवन भर तरसता रहता है। उसकी जमीन को जैसे वक्त क्या सरकार को उसके रोजगार का कोई नया रास्ता नहीं खोलना चाहिए? पाटे छोटा ही सही लघु कृषि उद्योग जैसा।

लाल डोरा / विस्तारित (Extended) लाल डोरा

गाँव में 'लाल डोरा' का मतलब जमीन की उस सीमा रेखा से है, जहाँ ग्रामवासी मकान बनाते हैं और अपने व्यवसाय, खेतीबाड़ी, कामकाज, पशु-पक्षी आदि के लिए इच्छा और आवश्यकतानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सब उनका कानूनी अधिकार भी है, जो देश की आजादी से पहले (1908) से चला आ रहा है। Extended Lal DORA बढ़ती जनसंख्या के कारण 'लाल डोरा' का विस्तार है, जिसमें भूखंड या प्लॉटों का मालिकाना हक और इस्तेमाल का कानूनी अधिकार 'लाल डोरा' जैसा ही होता है। अपनी इच्छा, आवश्यकता और आर्थिक स्थिति के अनुसार गाँव के लोग अपने

प्लान व जमीन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

पकवंदी (Consolidation of land)

दिल्ली के गाँवों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की आजादी के आसपास उनकी जो भौगोलिक सीमा रेखा अर्थात् 'लाल डोरा' तय था आज भी वही है, जिससे गाँवों की बढ़ती हुई आबादी के लिए आवासीय संकट खड़ा हो गया है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। लगभग 50 वर्षों के बाद सरकार ने 1996-99 के वर्षों में दिल्ली के कुछ गाँवों में पकवंदी (Consolidation) का बीड़ा उठाया, जो ग्रामवासियों के लिए बढ़ती आबादी और उसी क्रम में कृषि योग्य भूमि के कम होने या समाप्त होने के समय एक नए सहारे की तरह दिखने लगा था; क्योंकि कम से कम रहने की समस्या तो नहीं रहेगी और छोटा-मोटा रोजगार का साधन भी जुटाया जा सकता था। लेकिन मास्टर प्लान-2021 के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जारी अधिसूचना 17-1-2011 ने इस पर भी पानी फेर दिया और भोलें भोलें गाँववालों को सरकार ने MCD और नौकरशाहों की भेंट चढ़ा दिया। गाँव की जिंदगी की सही जानकारी मानीय सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं दी गई।

पकवंदी क्या है ?

इस मामले पर आगे बढ़ने से पहले इस पकवंदी के बारे में जान लेना जरूरी है। पकवंदी की अधिसूचना Consolidation & Prevention of Fragmentation Act-1948 के अन्तर्गत आती होती है। SDM की क्षेत्र में पकवंदी अधिकारी इस कार्य को आगे बढ़ाता है। किसान की 4 बीघा 4 बिस्वा कृषि जमीन के बदले 2 बीघा 2 बिस्वा का आवासीय भूखंड उसे दिया जाता है, साथ ही 2 से 3 बिस्वा मुजरई - गली-सड़क आदि

के लिए Extended जमीन काटी जाती है, एक पूरी योजना के साथ ये प्लॉट बनाए जाते हैं। PDA का इस योजना में कोई योगदान नहीं होता। यहाँ ध्यान भी बात है कि PDA अपनी कालोनियों में सड़के, गलियाँ बनाकर लोगों को बेचती है जबकि Extended Lal PDA में गली-सड़कों में भी किसानों की अपनी जमीन कटती है।

समाप्त:

1. मास्टर प्लान - 2021 के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जारी अधिसूचना 17-1-2011 को पूरी तरह से रद्द किया जाए। शहरी नीति एवं कानून को गाँवों पर जबरन थोपना पूरी तरह अप्पावहारिक, अमानवीय और गैर कानूनी भी है। ग्राम कानून मनुष्य का रक्षक होता है अक्षक नहीं। ये कर्लों का न्याय और कानून है। एक ओर भुग्गी-भोंपड़ी वालों को सरकार बसाती है, तो दूसरी ओर अपनी पैतृक जमीन पर बसे गाँव वालों को उजाड़ देना चाहती है।
2. माननीय उपराज्यपाल श्री तैजेंद्र खन्ना की सिफारिश (ग्रामवासियों की सम्मति से विशेष) को लागू किया जाए।
3. मास्टर प्लान - 2021 में गाँव के लाल डोरे / विस्तारित (Extended) लाल डोरे में MIX LAND USE मिले गुले इलेमाल का प्रावधान शतप्रतिशत रखा जाए। लाल डोरे या विस्तारित (Extended) लाल डोरे में किसी भी प्रकार के नक्शों की पाबंदी पूरी तरह से खारिज किया जाए। ग्रामवासी अपनी आवश्यकता और आर्थिक स्थिति के आधार पर जब चाहे और जितना चाहे

निर्माण कार्य अथमुक्त होकर कर सके। केवल ऊँचाई (15 मीटर) की सीमा सामान्य रूप से लागू की जा सकती है और मकान की मजदूती के लिहाज से उसकी बुनियाद या नींव या Structure को MCD आदि जांच सकती है। गली एवं सड़क पर कच्चे Encroachment पर कार्रवाही लाया जा सकता है। यहाँ ये बात भी देखने की है - कि मकान की मजदूती अच्छे किस्म के Material सीमेंट-लोहे आदि से बनती है, न कि अच्छे नक्शे से।

नाम: लाल डोरे / Extended Lel DORA में Mix Land Use और निर्माण कार्य में नक्शे की पाबंदी हटाने से अपराध कम होगा। भूट खसोट कम होगी। दिल्ली देहात में खुशहाली बढ़ेगी। बेकारी कम होगी। दूंगे कम होंगे। सुव शांति बढ़ेगी। महंगाई कम होगी और अपराध भी कम होंगे।

जानि: मास्टर प्लान 2021 में उपर्युक्त सिद्धो धन न होने पर गाँव के लोग बढ़हाल होंगे, जिसका असर आसपास के काछरी क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। बेकारी, भुखमरी, महंगाई और अपराध जगत् में वृद्धि होगी। स्वाम के आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त का गध इतीलिय सताता रहता है। बेकारी, गरीबी, भुखमरी इतीलिय मानवता के अभिशाप हैं। अतः इनसे बचे और बचाएँ और 17-1-2011 की अधिसूचना को रद्द करके एवं MIX LAND USE को स्वीकृति देकर सभी गाँव वालों को खुशहाल बनाए।

अतदीय,